भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3092

उत्तर देने की तारीख : 07.08.2025

एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से रोजगार सृजन

3092. श्री कुंदुरु रघुवीर:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान तेलंगाना में एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से कितने रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान नलगोंडा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में एमएसएमई द्वारा अनुमानित कितने रोजगार सृजित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार के पास रोजगार संबंधी जिलावार रिकॉर्ड है और यदि नहीं, तो क्या ऐसी ट्रैकिंग प्रणाली शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) लक्षित नीतियों और प्रोत्साहनों के माध्यम से नलगोंडा जैसे पिछड़े जिलों में एमएसएमई-आधारित रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (घ) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने उद्यमों के औपचारिकीकरण के लिए दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) की शुरुआत की। उद्यम पर पंजीकरण पूर्णतया ऑनलाइन, कागजरहित और स्व-घोषणा पर आधारित है। दिनांक 04.08.2025 की स्थिति के अनुसार, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म सहित (दिनांक 01.07.2020 से 31.07.2025 तक) यूआरपी के अंतर्गत तेलंगाना राज्य, नलगोंडा जिला और सूर्यापेट जिला में क्रमश: 15919716; 592545 और 544587 रोजगार की सूचना दी गई थी।

सरकार द्वारा नलगोंडा जैसे पिछड़े जिलों सहित एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए उठाए गए कदम निम्न प्रकार से हैं, जिनके परिणामस्वरूप एमएसएमई में रोजगार वर्धन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार संबंधी परिस्थितियों में सुधार होगा।

i. प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):

क) विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है।

ख) उच्च शिक्षा के लिए आकांक्षी जिलों के आवेदकों और विशेष श्रेणी के तहत पात्र ट्रांसजेंडरों का समावेशन।

ग) स्कीम के तहत डेयरी, मुर्गीपालन, एक्वाकल्चर, कीट (मधुमक्खी, रेशम के कीड़ों का पालन आदि) सहित पशुपालन से संबंधित उद्योग अनुमत हैं।

घ) पिछड़े और कम प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्रों आदि के साथ सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम।

ङ) संभावित उद्यमियों के लिए दो दिवसीय नि:शुल्क ऑनलाइन उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) का आयोजन।

च) जनवरी, 2024 से 11 क्षेत्रीय भाषाओं में संभावित लाभार्थियों से पीएमईजीपी आवेदनों को भौतिक रूप में स्वीकार करना।

ii. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने संयुक्त रूप से वर्ष 2000 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटीएमएसई) की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य सदस्य ऋणप्रदाता संस्थानों (एमएलआई) द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को दिए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करना है।

iii. आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड: भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) नामक एक कोष निधि की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य उन एमएसएमई में इक्विटी फंडिंग के रूप में 50,000 करोड़ रुपए समावेशित करना है जिनमें विकसित होकर बड़ी इकाई बनने की क्षमता और व्यवहार्यता है। इस पहल का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र की योग्य और पात्र इकाइयों को विकास पूंजी प्रदान करना है।

iv. सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी): एमएसई-सीडीपी क्लस्टरों के विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है। यह मौजूदा क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफ़सी) की स्थापना के लिए भारत सरकार के अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाती है।

v. इसके अतिरिक्त, सरकार एमएसएमई क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) जैसी विभिन्न योजनाएँ/कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही हैं।

vi. सरकार ने एमएसएमई सहित सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन और रोजगार बढ़ाने में सहायता प्रदान करने के लिए रोजगार लिंक्ड इन्सेंटिव (ईएलआई) स्कीम को भी अनुमोदित किया है।

vii. देश में निजी तथा सरकारी क्षेत्रों में रोजगार, रोजगार मेलों पर जानकारी, जॉब सर्च, करियर परामर्श आदि सहित करियर संबंधी सेवाओं के लिए रोजगार परिस्थियों में सुधार हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल भी प्रचालनरत है।

*****